

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय
1-राजविहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्र सं. 279 / एच0क्यू0 / IX-यात्री सुविधा / 18

दिनांक: 11 अप्रैल-2018

सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
गामीण / बी / हिल / जेएनएनयूआरएम देहरादून।

**विषय- PERMISSION TO PASTE ALCOHOLICS ANONYMOUS
STICKERS AND PLACARDS।**

उक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री सोरभ मल्होत्रा, 389, इन्दिरानगर, कालोनी, देहरादून ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 11-04-2018 के द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों एवं बस स्टेशनों पर शराब मुक्ति स्टीकर (ALCOHOLICS ANONYMOUS STICKERS AND PLACARDS) लगाने की अनुमति चाही गयी है जिससे कि निगम कर्मचारियों में जागृति उत्पन्न करने के लिए नि:शुल्क मीटिंग करके शराब पीने से होने वाले दु:प्रभावों के प्रति जागृति उत्पन्न कर उनकी शराब की लत को रोका जा सके।

अतः जनहित एवं कर्मचारी हित के उक्त कार्य हेतु प्रत्येक बस में एक स्टीकर ए+4 साईज में लगाने हेतु उक्त संस्था के कार्मिक को अनुमति प्रदान की जाती है। यह स्टीकर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाए जिससे कि अन्य संस्था के लगाये गए विज्ञापन पर कोई प्रभाव ना पड़े तथा चालक को बस संचालन करने में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो।

(दीपक जैन)
महाप्रबन्धक (संचालन)
निगम मुख्यालय।

प्रतिलिपि-

- 1-मण्डलीय प्रबन्धक(संचा0)उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को सूचनार्थ।
- 2-श्री सोरभ मल्होत्रा,389,इन्दिरानगर,कालोनी, देहरादून 248006 को उपरोक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।

महाप्रबन्धक (संचालन)
निगम मुख्यालय।

श्री सं
सूचना